TRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMAD): (a) Euro-issues are initially offered either as Global Depository Receipts (GDRs) or Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) to non-resident investors abroad by the Indian issuing Companies desirous of raising resources. The non-resident investors in turn, can sell such GDRs and FCCBs to other non-resident investors freely in the secondary market.

(b) Yes, Sir.

(c) Sellers of Euro-issues in the Indian markets are permitted to buy the necessary foreign exchange from the market.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

(f) Foreign Currency Com-ertible Bonds issued by Indian Companies would from part of the non-official external debt of the country till the conversion.

Os) There is no direct relationship between Euro-issue transactions and the external value of the rupee.

Foreign Currencies invested in Euro issues

879. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: SHRIMATI RENUKA CHOWDHARY: SHRI G.G. SWELL: SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: SHRI SARADA MOHANTY: SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Euro-issues are going to be capped in future, what are the reasons and details thereof;

(b) whether the foreign currencies invested in Euro-issues are invested in primary capital formation, retained abroad to invest in capital goods and raw materials imports for the concerned companies, deposited in RBI, allowed to float abroad or allowed to be invested in stocks of other companies;

(c) what is the short and long term capital gain tax paid by sellers of Euro-issues.

(d) whether Euro-issues holders are paid in foreign currencies on sale of Euro-issues; if so, at what rate rupee is going to be converted in foreign currencies;

(e) what is the accumulation of foreign currencies through Euro-issues till this date; and

(f) whether higher investment in Euro-issues is likely to push up inflation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINSTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) As part of macroeconmic management Government will necessarily, cap the aggregate inflows arising from Euro-issues.

(b) Generally issuing campanies are mandatorily required to repatriate the issue proceeds into India. Decisions regarding the end-use of Euro-issue proceeds are left to the issuing companies.

(c) Capital gains in respect of Euro-issues will arise only if they are converted into ordinary shares and sold by the nonresident investor. In such a case long term capital gains will be subject to income-tax at the rate of 10% and short term capital gains will be subject to income-tax at the normal rates applicable to non-residents under the provisions of the Income Tax Act.

(d) When the non-resident Investors sell the underlying shares in India, they will be allowed to repatriate the sale proceeds net of tax in foreign currency at the then prevailing market rates of exchange.

(e) Till December 31, 1993 thirteen Euro-issues had been launched raising an aggregate amount of USS 1,133.70 million. Thereafter, final approvals have been given, for 18 more issues till 14.2.94 for an aggregate amount of about US $ 1785 million.

(f) There is no direct causality between the issue of capital in the form of Euro-issues and the rate of inflation.

राजस्थान में बैंकों की शाखाएं

880. **श्री शिवचरण सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में किस-किस बैंक की कितनी--कितनी शाखाएं हैं;

(ख) बैंकों की नयी शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में, राजस्थान का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात से इस राज्य में बैंकों की शाखाएं बहुत कम है और इस कमी को कब तक पूरा किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) दिनांक 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में काम कर रहे प्रत्येक बैंक का नाम और इन बैंकों की शाखाओं की संख्या विवरण में दी गई है। (नीचे देखिये)।

(ख) शाखा विस्तार नीति, 1990-95 के अंतर्गत बैंकों द्वारा अपने सेवा क्षेत्र में पता लगाए गए ग्रामीण केन्द्रों में शाखायें खोलने के प्रस्ताव और उचित रूप से संबंद्ध राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है। जहां तक अर्ध शहरी केन्द्रों का संबंध है, बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि उन्हें आबंटित किए गए कोटे के अन्तर्गत वे अखिल भारतीय आधार पर अपनी इच्छा के अनुसार शाखायें खोल सकते हैं। अर्ध शहरी केन्द्रों में शाखायें खोलने के प्रयोजन के लिए कोई राज्यवार कोटा आबंटित नहीं किया गया है। शहरी/महानगरीय/पत्तन नगर के केन्द्रों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित कार्यदलों द्वारा पता लगाए गए केन्द्रों के आधार पर आबंटन किया जाता है। चालू शाखा विस्तार नीति के अंतर्गत बैंकों को विशेषज्ञता प्राप्त शाखायें अर्थात औद्योगिक वित्त, विदेशी, एस आई बी/ एस एस आई, एन आर आई, ट्रेजरी आदि शाखायें खोलने की स्वतंत्रता है। यह उस केन्द्र में पर्याप्त कारबार सुनिश्चित करने के पश्चात किया जा सकता है। ऐसे प्रस्तावों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन प्रस्तावों को छोड़कर दूसरे प्रस्ताव जो विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुरूप नहीं होते है उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाना होता है। बैंक अपने विस्तार काउंटर खोलने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि वे उस संगठन के प्रमुख बैंकर हों, जिनके परिसरों में विस्तार काउंटर कार्य कर रहा हो।

(ग) दिनांक 30.6.93 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या 3104 थी जबकि पूरे देश में शाखाओं की संख्या 61248 थी। राजस्थान के लिए औसत जनसंख्या 11,000 है जो 11,000 के अखिल भारतीय औसत जनसंख्या के बराबर है।

विवरण

30.6.1993 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कार्यरत बैंकों की शाखाओं की संख्या और उनके नाम

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	159
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	589
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	2
एस० बी० इंदौर	5
एस० बी० पाटियाला	3
एस० बी० हैदराबाद	1
एस० बी० त्रावनकोर	1
इलाहाबाद बैंक	28
आंध्रा बैंक	3
बैंक आफ बड़ौदा	294
बैंक आफ इंडिया	37
बैंक आफ महाराष्ट्र	6
केनरा बैंक	19
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	93
कारपोरेशन बैंक	1
देना बैंक	11
इंडियन बैंक	8
इंडियन ओवरसीज बैंक	9
न्यू बैंक आफ इंडिया	19